



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली (छ.ग.)



// आदेश //

आदेश क्रमांक—05 / File No. 13 / DLSA / 2026

मुंगेली, दिनांक 03 मार्च 2026

संविदात्मक नियुक्ति (Contractual Engagement) आदेश

छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर का ज्ञापन क्र. 615/LADCS-23-05/ 2024 बिलासपुर दिनांक 27.02.2026 के परिप्रेक्ष्य जिले में स्थापित होने वाले लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम हेतु अतिरिक्त रूप से मानव संसाधन (Supporting Staff) कार्यालय सहायक/क्लर्क (office Assistant /Clerk) एवं भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) office Peon(Munshi/Attendent) पद हेतु संविदात्मक नियुक्ति (Contractual Engagement) हेतु माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय के अनुमोदन उपरांत ज्ञापन में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के अधीन (Supporting Staff) कार्यालय सहायक/क्लर्क (office Assistant /Clerk) एवं भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) office Peon(Munshi/Attendent) को नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 की कंडिका 4 के प्रावधानानुसार पूर्णतया संविदात्मक अनुबंध (Contractual Engagement) नियुक्ति निम्नानुसार की जाती है :—

कार्यालय सहायक/क्लर्क LADCS मुंगेली

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	महिला /पुरुष	प्राप्तांक
1.	112	गौतम कुमार	सोनउ	वार्ड नं. 15 हीरागीर दफाई हल्दी बाडी चिरमिरी जिला एम.सी.बी. (छ.ग.)	पुरुष	49.2
2.	103	देवेन्द्र साहू	दिनेश साहू	रामगढ़, मुंगेली	पुरुष	49.2

कार्यालय भृत्य/मुंशी LADCS मुंगेली

स.क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	महिला/पुरुष
1.	धनेश्वरी साहू	रवि कुमार साहू	ग्राम भर्माकुण्डा पो करही जिला मुंगेली (छ.ग.)	महिला
2.	विनय कुमार कश्यप	रामभरोस कश्यप	ग्राम पैजनिया पो. कोतरी जिला मुंगेली (छ.ग.)	पुरुष

शर्तें :-

- लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु अतिरिक्त रूप से नियुक्त Supporting Staff कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assitant/Clerk) एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) Office Peon(Munshi/Attendent) स्टाफ की पूर्णतया अनुबंधित संविदात्मक नियुक्ति माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय के अनुमोदन दिनांक से अर्थात् दिनांक 25.02.2026 से 24.02.2027 तक की अवधि के लिये प्रथमतः 01 वर्ष के लिये होगी। जिनका कार्यकाल /कार्यवधि नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों के कंडिका 4 के प्रावधानुसार तथा नालसा से प्राप्त जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा।
- लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु अतिरिक्त रूप से नियुक्त Supporting Staff कार्यालय सहायक/ क्लर्क (Office Assitant/Clerk) एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) Office Peon(Munshi/Attendent) स्टाफ का मानदेय इस प्राधिकरण का पत्र क्रमांक F-N- /1730/LADCS/2023 Bilaspur dated 26-06-2023 के बिन्दु क्रमांक 03 में निर्धारित क्लास-ए, क्लास बी एवं क्लास-सी तीनों में एक का चयन, तीनों में जो आपके जिले के लिये शहरी जनसंख्या के आधार पर पूर्व में निर्धारित हुआ है, चयन के आधार पर मानदेय निर्धारित किया जावेगा।

3. नियुक्त किये गये मानव संसाधन Supporting Staff कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assitant/Clerk) एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) Office Peon(Munshi/Attendent) से नालसा से प्राप्त संविदात्मक अनुबंध (Contractual Engagement) पत्र की शर्तों को मान्य किये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित प्रथमतः की जावे ।

उक्त अनुबंध पत्र में नालसा के पत्र क्रमांक F-No- L-27/2022-NALSA (Part File)/4678-4714 कंजमक 27th March,2024 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत तथा नालसा से प्राप्त पत्र क्रमांक F-No-L/27/2022/NALSA/415 dated- 16th April 2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नीचे उल्लेखित अनुबंध की शर्तों में अनिवार्यतः सम्मिलित करते हुये अनुबंध तैयार किया जावे-

"You will not be entitled to a regular government post, salary or benefits, as the payment is based on honorarium or retainership, and not on a salary basis-""

कर्मचारी को नियमित सरकारी पद या सरकारी वेतन, या सुविधाओं का अधिकार नहीं होगा क्योंकि भुगतान मानदेय या रिटेनरशिप के आधार पर है और वेतन के आधार पर नहीं। उपरोक्तानुसार अनुबंध की शर्तें एवं पूर्व निर्धारित सम्पूर्ण अनुबंध की शर्तों को मान्य करते हुये, संविदात्मक अनुबंध पत्र नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों के कंडिका -4 के प्रावधान अनुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अनुबंधकर्ता के मध्य की जावेगी तथा अनुबंध पत्र में अनुबंधकर्ता के पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर, स्पष्ट हस्ताक्षर दिनांक सहित, पूरा नाम एवं पता दिनांक सहित तैयार की जावे, अतः निर्देशानुसार उपरोक्त दस्तावेज तैयार कर उपस्थित होंगे।

4. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली के चयन समिति द्वारा तैयार की गई उक्त पदों हेतु, चयन सूची व प्रतीक्षा सूची का अनुमोदन उपरांत, उक्त प्रतीक्षा सूची को माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय के अनुमोदन दिनांक से अर्थात् दिनांक 25.02.2026 से 24.02.2027 तक की अवधि के लिये केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही प्रभावशील मानी जावेगी।

यदि कोई लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय का Supporting Staff & Office Assistant/Clerk & Office Peon & Munshi/Attendent, पदभार ग्रहण करने के पश्चात् अपने पद से त्याग पत्र दे देता है तो उस स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के अधीन एवं संविदात्मक अनुबंध (Contractual Engagement) की शर्तों के प्रवधानों के अधीन कार्यवाही कर, संबंधित का विधिवत त्यागपत्र स्वीकार किये जाने की कार्यवाही की जावे, तथा स्वीकार किये गये त्यागपत्र का अनुमोदनार्थ हेतु छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर को पूर्ण विवरण एवं अभिलेखों के साथ प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

5. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के द्वारा नालसा के पत्र क्रमांक एल/20/2019 नालसा दिनांक 24 अगस्त, 2022 के साथ संलग्न पूर्व में प्रेषित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, तथा उसी के अनुसार नियुक्त स्टाफ की सेवा भी समाप्त की जा सकेगी। साथ ही नालसा का पत्र क्रमांक F-N. L/20/2019-NALSA dated 11-02-2023 एवं पत्र क्रमांक F-N-L/20/2019-NALSA dated 14-02-2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यों को, नियुक्त किये गये स्टाफ कार्य सम्पादित करेंगे, यदि कार्य संतोषजनक नहीं होने पर, अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तथा आपराधिक राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी, ऐसे स्टाफ की **सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।**
6. Supporting Staff कार्यालय सहायक/ क्लर्क (Office Assistant/Clerk) एवं कार्यालय मृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) Office Peon(Munshi/Attendent) लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेंगे।
7. जिले में अतिरिक्त रूप से नियुक्त किये जाने वाले मानव संसाधन Supporting Staff कार्यालय सहायक /क्लर्क (Office Assistant/Clerk) एवं कार्यालय मृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) Office

Peon(Munshi/Attendent) को नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।

8. नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के प्रावधानों के प्रावधानों के अधीन तथा संविदात्मक अनुबंध नियुक्ति हेतु मापदण्ड, नियम व शर्तें जो भी लागू करने हेतु आवश्यक होंगे। माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने स्तर पर निर्धारित कर सकते हैं।

सही/—

(श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी)

अध्यक्ष/प्रधान जिला न्यायाधीश

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली

पृष्ठांकन क्रमांक— **308 / File No. 13 / DLSA / 2026**

मुंगेली, दिनांक 03 मार्च, 2026

प्रतिलिपि :-

- 01 माननीय सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय **मुंगेली** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. कार्यालय, लीगल एड डिफेंस कौंसिल **मुंगेली** ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. स्थापना लिपिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण **मुंगेली** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 05 **श्री गौतम कुमार** पिता श्री सोनउ ग्राम वार्ड क्र.15 हीरागीर दफाई हल्दी बाडी चिरमिरी जिला एम.सी.बी. (छ.ग.) आदेश के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
06. **श्री देवेन्द्र साहू** पिता **श्री दिनेश कुमार** ग्राम रामगढ़ मुंगेली जिला मुंगेली (छ.ग.) को आदेश के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

- 07 **श्रीमती धनेश्वरी साहू** पिता रवि कुमार साहू ग्राम भर्कण्डा पो. करही जिला मुंगेली (छ.ग.) को आदेश के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 08 **श्री विनय कुमार कश्यप** पिता राम भरोस कश्यप ग्राम पैजनिया पो. कोतरी जिला मुंगेली (छ.ग.) को आदेश के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

सही / –
(कंचन लता आचला)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली